आज़ादी का
अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांकः एफ. 14(170/17)2017/एफसीए/प्रमुवसं/3777 दिनांक 24/12/24

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय:- Diversion of 286.47 ha of forest land in favour of Executive Engineer water Resource Division III, Baran Constrution of Hatiyadeh Medium Irrigation project in Baran Distirct, Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/IRRIG/27263/2017)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 7376 दिनांक 12.12.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित अनुपालना का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 28.10.2034 के क्रम में प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाऐं/स्पष्टीकरण अभी भी दिया जाना अपेक्षित है:-

1. Point no 1. पालना अपूर्ण। यूजर ऐजेन्सी द्वारा जल समागम योजना (CAT plan) प्रस्तुत की गयी है किन्तु योजना उप वन संरक्षक एवं आप द्वारा तकनीकि रूप से जॉच किया जाकर अनुमोदन हेतु अभिशंषा नही की गयी है। योजना में वृक्षारोपण मॉडल में दरें सही नही है, वृक्षारोपण कहॉ होगा स्पष्ट नही है, 126 वर्ग कि0मी0 क्षैत्र में किस आधार पर एनीकट, गेबियन स्ट्रेक्चर की संख्या ऑकलित की गयी है। आदि को स्पष्ट नही किया गया है।
2. Point no 2. पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में पूर्व में उप वन संरक्षक बारां द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि में जूलीफलोरा की सघनता होने के कारण पारिभ्रषित वन भूमि DFL पर वृक्षारोपण चयनित किया गया, था किन्तु आप द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर में उप वन संरक्षक द्वारा गैर वन भूमि में ही जूलीफलोरा हटाये जाने के बाद वृक्षारोपण किया जाना अंकित किया गया है। उक्त बदलाव का कारण स्पष्ट नही है। बार- बार सूचनाएँ बदलाव कर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जिसे स्पष्ट किया जाना है। प्रकरण में स्थल उपयुक्तता अनुसार ही वृक्षारोपण योजना संलग्न की जानी प्रस्तावित है एवं पोर्टल पर अन्य योजनाएँ जो संबंधित नही है उन्हे हटाया जाना प्रस्तावित है। जूलीफलोरा हटाये जाने के संबंध में योजना के अंतर्गत राशि का प्रावधान नही रख गया है। क्षैत्र में वन्यजीवों के दृषिकोण से जूलीफलोरा हटाने के संबंध में तकनीकी नोट भी संलग्न नही है।
3. Point no 3. पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में ग्रामवार प्राप्त गैर वन भूमि का विवरण संलग्न नही किया गया है। साथ ही वन संरक्षण एवं सवर्धन नियम 2023 के नियम 13 के अनुरूप छत्र घनत्व के अनुंसार कोई टिप्पणी नही की गयी है।
4. Point no 4. पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वरा पूर्व में प्रेषित सूचना में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना को बदला जाकर नवीन क्षतिपूर्ती वृक्षारापेण योजना संलग्न की गयी है जिसका कारण स्पष्ट नही है। साथ ही पूर्व में प्रेषित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना के दस्तावेजों को भी पोर्टल से नही हटाये गये है।
5. Point no 5. पालना अपूर्ण। यूजर ऐजेन्सी द्वारा पार्ट। में तकनीकी रिपोर्ट संलग्न की गयी है किन्तु उसमें वर्तमान फसल पेटर्न, कुल लाभन्वित जनसंख्या, भविष्य में फसल में बदलाव एवं इससे होने वाले सामाजिक आर्थिक लाभो की सूचना का अभाव है।

उक्त बिन्दुओं की पालना अपने स्तर, उप वन संरक्षक/यूजर ऐजेन्सी से कराया जाकर सूचना शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावे।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(170/17)2017/एफसीए/प्रमुवसं/3778-79 दिनांक 24/12/24

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, बारां।
2. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, खण्ड-बारां।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

C:\Users\Lenovo\Desktop\EDS Letter DK.doc 24-Dec-24